गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर
राज्य में लागू और नोटरीकृत भी

लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू) 2.0)

मैं/हम______________________________ [लाभार्थी का पूरा नाम] पुत्र/पुत्री/पत्नी ____________________ [पिता/पति/पत्नी का नाम], जन्म तिथि ___________ वर्तमान में निवासी____________________[शहर/कस्बे का नाम] __________________राज्य_____________________(मोबाइल/संपर्क संख्या) __________________है एवं आधार संख्या ______________________है, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूँ और निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ:

1. मैंने/हमने आईडीबीआई बैंक से आवास ऋण लिया है और बैंक ने हमारे बीच निष्पादित दिनांक ______________के आवास ऋण समझौते में निहित निबंधन एवं शर्तों पर (**रुपये** ______________________) मंजूर किया है.
2. प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा "सभी के लिए आवास" मिशन के तहत लाभार्थियों द्वारा लिए गए आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया है.
3. मैं/हम उक्त ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं और बैंक से अनुरोध करते हैं कि वह ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत एनएचबी/ एमओएचयूए को मेरा/हमारा दावा प्रस्तुत करें ताकि मुझे/हमें इसका लाभ मिल सके.
4. प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) (योजना) के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के नियमों और शर्तों से अवगत हूं/हैं. आवास योजना- शहरी 2.0, (पीएमएवाई-यू 2.0) (योजना), जिसका विवरण मुझे/ हमें विधिवत समझाया गया है.
5. मैं/हम भली भांति समझते हैं कि आईएसएस योजना के अंतर्गत सब्सिडी बजटीय आवंटन के अधीन है.
6. मैं/हम यह भी समझते हैं कि यदि एनएचबी/ एमओएचयूए/ जीओआई द्वारा देरी से जारी किए जाने या किसी भी कारण से खाते में सब्सिडी क्रेडिट में देरी होती है, तो मैं/हम विलंबित अवधि के लिए किसी भी ब्याज का दावा करने या मेरे/हमारे आवास ऋण खातों में पहले से डेबिट किए गए ब्याज में समायोजन का दावा करने के हकदार

नहीं हैं.

7. मैं/हम यह भी समझते हैं कि आईएसएस के अंतर्गत सब्सिडी का दावा मेरे/हमारे द्वारा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता.
8. मैं/हम ब्याज सब्सिडी योजना के तहत दावा किए गए लाभ पर विचार करने के लिए बैंक/एनएचबी/एमओएचयूए द्वारा अपेक्षित सभी प्रमाण और दस्तावेज, सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा/करेंगे.
9. मैं/हम सहमत हैं कि यदि मुझे/हमें ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी के लिए उचित नहीं माना जाता है या ब्याज सब्सिडी योजना को वापस ले लिया जाता है या आशोधित किया जाता है या मंजूर नहीं किया जाता है, तो किसी भी कारण से बैंक का कोई दायित्व या देनदारी नहीं होगी.
10. मेरे/ हमारे द्वारा निष्पादित आवास ऋण समझौता या किसी अन्य दस्तावेज़ में निहित सभी खंड मुझ पर/ हम पर बाध्यकारी होंगे और यह आवास ऋण समझौते और उसके अंतर्गत निष्पादित दस्तावेज़ों/प्रतिभूतियों में निहित अनुबंधों/खंडों के अतिरिक्त होगा. इस शपथ पत्र और आवास ऋण समझौते के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, आवास ऋण समझौते के प्रावधान ही मान्य होंगे.
11. मैं/हम सहमत हैं कि बैंक निम्नलिखित परिस्थितियों में ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत एनएचबी/एमओएचयूए से ब्याज सब्सिडी के लिए प्राप्त राशि लौटा देगा/धनवापसी कर देगा :

    क. यदि बैंक को किसी भी समय पता चलता है कि उधारकर्ता ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं.
    ख. यदि ब्याज सब्सिडी का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन या दस्तावेज गलत है या सही नहीं पाया जाता है या जाली है.
    ग. यदि उधारकर्ता वे दस्तावेज/सूचनाएं प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, जिनकी बैंक/एनएचबी/एमओएचयूए द्वारा उनसे मांग की गई है.
    घ. यदि उधारकर्ता/ऋणी इसमें निहित किसी भी अनुबंध का उल्लंघन करते हैं, या समय-समय पर संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करते हैं, या उधारकर्ता द्वारा की गई कोई भी घोषणा झूठी/गलत पाई जाती है.
    ङ. कोई अन्य कारण जिसके कारण बैंक उक्त आवास ऋण वापस ले लेता है या
    च. ब्याज सब्सिडी योजना के अनुसार या एनएचबी/एमओएचयूए द्वारा सूचित कोई अन्य कारण

12. बैंक को प्रस्तुत मेरे/हमारे ब्याज सब्सिडी दावे की अस्वीकृति के मामले में, मैं/हम सीधे एनएचबी/एमओएचयूए के साथ मामले पर बातचीत करेंगे और बैंक को इसमें पक्ष नहीं बनाया जाएगा.
13. मैं/हम उक्त ब्याज सब्सिडी योजना के सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन करूंगा/करेंगे तथा इसके साथ ही उक्त आवास ऋण की मंजूरी की शर्तों के साथ-साथ इसके बाद के सभी संशोधनों एवं सुधारों और परिवर्धनों का भी निष्ठापूर्वक पालन

करूंगा/करेंगे.

14. मैं/हम एमओएचयूए द्वारा प्रस्तुत दावे को किसी भी कारण से अस्वीकार किए जाने के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे.
15. मैं/हम इस शपथ पत्र/वचनपत्र के निष्पादन या इसके निबंधन एवं शर्तों के प्रवर्तन के संबंध में आवश्यक सभी व्यय वहन करेंगे.
16. मैं/हम उस संपत्ति का निर्माण पूरा होने पर आईडीबीआई बैंक को तुरंत सूचित करूंगा/करेंगे जिसके लिए ऋण लिया गया है.
17. मैं/हम आवास ऋण के प्रथम संवितरण की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की अवधि तक मकान नहीं बेचने के लिए सहमत हूँ/हैं.
18. मैं/हम इस बात से सहमत हूं/हैं और पुष्टि करता/ते हूं/हैं कि यह मेरे/हमारे द्वारा या पिछले मालिकों द्वारा उक्त योजना के तहत उस मकान पर सब्सिडी का पहला और एकमात्र दावा है जिसके लिए बैंक से ऋण लिया गया है.
19. मेरे/हमारे शपथपत्र की उपरोक्त विषय-वस्तु मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है.
20. मैं/हम समझते हैं कि यदि मेरे/हमारे शपथपत्र की कोई भी सामग्री किसी भी स्तर पर झूठी या असत्य या भ्रामक पाई जाती है तो मैं/हम आपराधिक कानूनों के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होंगे.

साक्षी

नाम :..........................

स्थान:

तारीख:

सत्यापन:

मैं, उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी, एतद्द्वारा सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है. इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है.

साक्षी

नाम :..........................

स्थान:

तारीख :